COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

113

C. C. B. 15
5

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १६७-६८ निगरानी

पं.क्रं. 381844
आ.क्रं. 1844 ... /98
मुकेश भार्गव 29.7.98
29.7.98

गिरिवर दास उर्फ गिरवर सिंह पुत्र हीरालाल यादव, निवासी ग्राम देवरछी, तहसील मुंगावली, जिला गुना (म०प्र०) --आवेदक

विरुद्ध

मृत १- सन्तोष पुत्र श्री नारायण सिंह

२- राम प्यारी बाई पुत्री नारायण सिंह वेवा पहाडसिंह, निवासी ग्राम पाली, तहसील-मुंगावली, जिला गुना (म०प्र०)

३- बीर सिंह पुत्र समरथ सिंह यादव, निवासी ग्राम गुडाढांका, तहसील मुंगावली जिला गुना (म०प्र०) - - - अनावेदकगण

मुकेश भार्गव एडवोकेट 29-9-98 ग्वालियर

न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर सम्भाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक १८६ ।६३-६४ में पारित आदेश दिनांक २-७-६८ के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा ५० केअधीन पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नांकित निवेदन है कि :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -

१- यहकि, आवेदक नेसंहिता की धारा ११० ।१६० मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अधीन नायब तहसीलदार मुंगावली के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम देवरछी तहसील मुंगावली जिला गुना में स्थित भूमि खसरा क्रमांक ७१ रकबा १-६०२ हेक्टयर

--२

--३

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक R- 1844–चार/98 जिला – अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.6.16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 189/93–94/अपील में पारित आदेश दिनांक 2–7–1998 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 190/110 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया गया कि वह ग्राम देवरछी की भूमि, जिसके भूमिस्वामी अनावेदक हैं, पर उनका पुराना कब्जा है अतः पुराने कब्जे के आधार पर उन्हें भूमिस्वामी घोषित किया जाये । उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार ने आदेश दिनांक 1–8–90 द्वारा स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो अनुविभगीय अधिकारी ने इस आधार पर स्वीकार की कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही विधिअनुकूल नहीं थी । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि उनका 20–25 वर्षों से अनावेदक के स्वामित्व की प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा है । अतः उन्हें मौरूसी कृषक के अधिकार उत्पन्न हो गये हैं	

R-1844-चार/98 जिला- नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विचारण न्याालय में दोनों पक्षों को नोटिस जारी किया गया । और विचारण न्यायालय ने सहमति के आधार पर आदेश पारित किंया । सहमति के आधार पर पारित आदेश की अपील नहीं हो सकती है, इस तथ्य को दोनों अपीलीय न्यायालय ने अनदेखा किया है । उनके द्वारा दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि केवल कब्जे एवं सहमति के आधार पर स्वत्व अर्जित नहीं होता है, उसके लिए व्यवहार न्यायालय ही सक्षम है । उनके द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके कथन कराए गए हैं, इस संबंध में उनके द्वारा न्यायालय का ध्यान अनुविभागीय अधिकीर के आदेश के पैरा 2 एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के पैरा 4 की ओर दिलाया गया । यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही पूरी तरह अवैधानिक है अतः विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है, जिसे स्थिर रखने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालयों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय द्वारा इस बात की जांच नहीं की गई कि आवेदक जिस भूमि पर भूमिस्वामी घोषित कराने की मांग कर रहा है, उस पर भूमिस्वामी के रूप में कौन अंकित है और उन सभी व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है । प्रकरण में अनावेदक को विधिवत सूचना नहीं हुई है । इस बात की जांच नहीं की गई है कि क्या पक्षकारों के मध्य कोई अनुबंध हआ था और उसके एवज में कोई प्रतिफल अनावेदक को दिया गया	

XXXIX(a)BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – अशोकनगर

प्रकरण क्रमांक – 1844–चार/98

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	था । उक्त त्रुटियों के कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की पुष्टि अभिलेख से होती है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	